उद्योग मंत्री ने की 'मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोज़गार योजना' लॉन्च

चर्चा में क्यों?

1 दिसिंबर 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन स्थित बीआईपी बोर्ड रूम में 'मुख्यमंतरी लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोज़गार योजना' को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हज़ार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार से तथा समकक्ष/अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा।
- उद्योग मंत्री ने बताया कि योजना के तहत कोई भी राजस्थान निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य है, अपनी एसएसओ आईडी या mlvsy.rajasthan.gov.in के ज़रिये आवेदन कर सकता है।
- प्रस्तुत आवेदन ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा जाँच के बाद संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। कंपनी द्वारा दस्तावेज़ अपलोड कर परीक्षण के लिये दोबारा ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों को भेजा जाएगा। वहाँ परीक्षण के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि योजना के लिये तीन वाहन कंपनियों-टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र बनाया गया है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर यह योजना लागू होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-ministers-small-commercial-vehicle-self-employment-scheme